**दाण्डिक अपील**

माननीय उच्च न्यायालय नयी दिल्ली

(दाण्डिक अपीलीय अधिकारिता)

दाण्डिक अपील सं. ............................. सन ........................

के मामले में

श्री ..................

पुत्र ..................

पैरोकार ... .................. .................. .................. .................. .............. अपीलार्थी के जरिये

यदि अपील नातेदारों /

मित्रों के जरिए लागू हो।

पुत्र ..................

निवासी.....................

बनाम

एन. सी. टी. राज्य दिल्ली ... .................. .................................... .......प्रत्यर्थी

**भा. द. सं. की धारा 392/397/34 के अधीन अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने वाला तथा 7 वर्षों की एक कालावधि के लिए कठोर कारावास को भुगतने के लिए दण्डादेश करने वाले ए. एस. आई. द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांकित .................. ..................के विरुद्ध दाण्डिक अपील।**

**अति सादर पूर्वक प्रदर्शित करता है -**

1. यह कि विनम्र अपीलार्थी का विचारण धारा 392/397/34 भा. द. सं. के अधीन एल.डी. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दिल्ली द्वारा किया गया देखे आदेश दिनाकित 24-12-2011
2. यह कि एल. डी. अतिरिक्त न्यायाधीश के समक्ष के पूर्व विचारण की ओर ले जाने वाली अभियोजन का संक्षिप्त तथ्य यह है कि 7-7-2000 को व्यवसाय से एक मिस्त्री ........ ........ ........ ........ उसके साइकिल से लगभग 9.30 अपराह ............. ........ ........ ......... में अपना कार्य समाप्त करने के पश्चात् आया। रास्ते मे उसकी साइकिल पक्चर हो गयी ऐसे रूप में वह अपने निवास स्थान को साइकिल खीच रहा और वजीरपुर रोड लाइट क्रासिंग के पास जब जल तालाब के पास तथा उसके ऊपर एक पार्क की ओर से गुजर रहा था। इसी बीच सभी तीनों अभियुक्त ग्रिल पर लटकते हुए उस पार्क से बाहर आये और सभी परिवादी की साइकिल के सामने आये। अभियुक्त ...................... ........ सामने से साइकिल को पकड़ लिया जबकि सह अभियुक्त .............. ........ .................... ने चाकू बाहर निकाली और परिवादी को लगा दिया और यदि कुछ भी धन हो, सौप देने के लिए उससे कहा और उसको मारने की धमकी दिया यदि वह वैसा नहीं करता, उनमें से एक ने एक डायरी उससे ले लिया और एक ने उसकी शर्ट की जेब से 50 रुपये के नोट की मुद्रा ले लिया। इसी बीच दो स्कूटर चालक जो जा रहे थे, दूसरो के साथ रुके और कथित अभियुक्त व्यक्तियों को पकड़ लिये। अभियुक्त गिर पड़े जब भागने का प्रयास कर रहे थे और पार्क की दीवार पर चढ़ने कि प्रक्रिया में उसके सिर पर चोटें आयी। लोग एकत्र हो गये और पीटने लगे। पी. सी. आर. आये, स्थानीय पुलिस पहुंची और अभियुक्तो को स्थानीय पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया और उनका सत्र न्यायालय की सुपुर्द कर दिये जाने के पश्चात् विचारण किया गया।
3. अभियोजन ने अभियोजन साक्षी 3 ................. परिवादी को सम्मिलित कर 7 साक्षियों को परीक्षित किया। किसी भी लोक साक्षी का, स्पाट रिपोर्ट/कथन के बावजूद भी कि अभियुक्तों को (क) दो स्कूटर चालको द्वारा रोका गया और उनका पिलर राइडर (ख) बड़ी संख्या में उन लोगों को इकट्ठा कर लिया जिन्होंने रेड लाइट क्रासिंग पर पुलिस को अभियुक्त व्यक्तियों को सुपर्द कर दिया, न्यायालय के समक्ष लाये गये अपराध की यथार्थता लाने के लिए परीक्षित किया गया लेकिन दोषसिद्ध किया गया तथा 7 वर्ष कठोर कारावास का दण्डादेश किया गया।
4. यह कि दोष सिद्ध द्वारा व्यथित होने वाला अपीलार्थी निम्नलिखित आधारों को प्रस्तुत करना चाहता है

**आधार**

1. यह कि कोई ऐसा अपराध बिल्कुल नहीं हुआ यदि ऐसा है भी तो यह निर्णय के पैरा 9 में यथा निर्देशित पी. सी. आर. रिपोर्ट के निबन्धतों में यह मात्र था और "जेब कतरी" यदि कभी हुआ हो तो न्यायालय द्वारा यथा आरोपित की गयी कोई लूट या डकैती नहीं थी।
2. यह कि यथा अभिकथित चाकू का धारा 397 के अधीन मामले को लाने के लिए बाद में डाला गया क्योंकि लोगों ने और न दोनों स्कूटर चालकों ने चाकू के बारे में बोले, और न ही उन्हें साक्षियों के रूप में पेश किया गया, अतएव मामले को और बढ़ा चढ़ाकर मढ़ा गया, इससे पीड़ित अभियोजन साक्षी 3 ................ को ज्ञात तीन व्यक्ति मात्र 50/- रुपये के लिए हमला नहीं करेगे जब तक वे यह नहीं जानते कि शिकार (व्यक्ति) के कब्जे में एक बड़ी धन राशि है और न ही उन्होंने साइकिल छीनने का प्रयास किये। मामले को मढ़ा गया जिसका पुलिस तथा अभियोजन साक्षी ने लाभ प्राप्त किया।
3. यह कि अभियोजन साक्षी 3 (अभियोजन द्वारा यथा दावाकृत स्टार साक्षी कथन करता है कि उसका हाथ अभियुक्त राजू द्वारा पकड़ा गया और उसके गले पर चाकू की नोक रखी गयी और उसका धन बाहर ले लिया। दूसरी ओर स्थानीय पुलिस (निर्णय के पैरा 10 में अभियोजन साक्षी 1 ................) कहती है, अभियुक्त ................. के कब्जे में एक फोल्डिंग चाकू उसके परिधान के दाहिने जेब में था/विरोधाभाष है। अभियोजन साक्षी 3 न्यायालय के समक्ष में अपने कथन में कहता है कि वह साइकिल खीच रहा था क्योंकि उसकी साइकिल पंक्चर हो गयी थी, यतः उसने न तो असल तहरीर में और न ही प्रथम सूचना रिपोर्ट में इस बारे में कभी नहीं उल्लेख किया था, वहाँ उसके वृतान्त में सुधार है बजाय इसके कि वह न्यायालय के समक्ष 9-9-2000 अपरान्ह के रुप में पीछे आने वाले समय का कथन कराया है अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा असल तहरीर में समय 10.15 अपराह्न है/कैसे अभियुक्त राजू धन बाहर निकाला और अपनी जेब से चाकू निकाला जब अभियोजन साक्षी 3 अभियुक्त राजू के दोनों हाथों द्वारा पकड़ा गया। उसकी प्रतिपरीक्षा में, उसको बात याद नहीं थी कि उसने धन और डायरी निकाला लेकिन यह सहमति व्यक्ति की कि डायरी एवम् 60 रुपय नोट पर (एपी.पी. द्वारा अबक) मुद्रांकित किया गया। निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध एक गढ़ा किया गया मामला ऐसे विरोधाभाषी निष्कर्ष पर पहुँच सकता था।
4. यह कि हितबद्ध होने के रूप में पी. सी. आर. कर्मचारी ने कभी-कभी खुली चाकू के बारे में कभी-कभी बोला और न ही फोल्डिंग चाकू जिसको अभियुक्त लोग द्वारा पी. सी. आर. कर्मचारी को सौप दिया गया और न ही पी. सी. आर. कर्मचारी स्थानीय पुलिस को सौपे जाने के दौरान खुली एवम् फोल्डिंग चाकू के बारे में बोला/यह निश्चित है कि 'अभियुक्त को दो स्कूटर चालको या पिलर राइडर को सम्मिलित लोगों (आम जनता) द्वारा पीटा गया तो उन्हें पी. सी. आर. के पुलिस कर्मचारी या स्थानीय पुलिस को पीड़ित (अभियोजन साक्षी 3) के गले पर रखी जा चुकने के लिए अभिकथित खुली चाकू को अवश्य सौप दिया जाता था। यह वैसा नहीं किया जाता है यह साबित करता है कि मामला एक मनगढन्त है, अन्यथा खुली चाकू या फोल्डिंग चाकू का अन्यथा प्रश्न प्रकाश में आ गया होता।
5. यह कि परिवादी अभियोजन साक्षी 3 के अनुसार यह दो स्कूटर चालक एवम् उनके पिलर राइडर जिसने उसको छुड़ाया, बजाय इसके पुलिस ने रेड लाइट क्रासिंग पर दो स्कूटर चालक तथा लोगों की बड़ी संख्या की मौजूदगी पर सहमति व्यक्त की, अभी अभियोजन ने अभियोजन वृतान्त की सत्यवादिता का समर्थन करने के लिए नहीं आया तब कैसे एल. डी. अतिरिक्त जिला न्यायाधीश वृतान्त पर विश्वास कर सकता था और कैसे अपराध को यथार्थता के निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता था। यह यथार्थता तौर पर एक पक्षीय और दोषपूर्ण विनिश्चिय था क्योंकि लोक साक्षी अपराध की आत्यंतिक के निक्षेप के लिए अपेक्षित किया हुआ लाया गया। एक भी शब्द नहीं इस बारे में पुलिस से प्रश्न करने वाला बोला गया या निर्देशित किया गया कि पुलिस क्यों नहीं उन्हें साक्षियों के रूप में रखती है क्योंकि दोनों स्कूटर चालक पीड़ित को छुड़ाने के लिए प्रथम व्यक्ति होता।
6. यह कि नागरिकों एवम् स्कूटर चालकों के अभियुक्तो पर नियंत्रण प्राप्त कर लेने के पश्चात् स्थल परिवाद में पुलिस कर्मचारियों को उन सभी व्यक्तियों के नामों को देने के लिए सम्यक रूपेण आबद्ध किया जाता है जिन्होंने तीनों अभियुक्तों पर नियंत्रण प्राप्त किया। अतएव इस बारे में संदेह है यदि बिलकुल ऐसी बातें / घटनाएं होती या नहीं होती? घटना 9 से 9.30 अपराहन के बीच हुई और पुलिस 10.30 अपराहन पहुँची। इस बात की असंभावना है कि एकत्रित जनता/भीड़ एक घण्टे रुकी होगी, या स्कूटर चालक एक घण्टे रुके होगे ताकि वे अपराधी को सौप सके/अभियोजन कहानी कपटपर्ण होना प्रतीत होती है और वह संभव होना नहीं प्रतीत होता/ऐसे अनुसंगत धारणाओं पर आधारित दोष सिद्ध को अपास्त कर दिया जाने की आवश्यकता है क्योंकि कोई ऐसी घटना नहीं हुई थी। कोई भी पब्लिक पुलिस को अपराधी सौंपने के लिए एक घण्टे से प्रतीक्षा नहीं करेगा यदि वैसा हो क्योंकि न्यायालय के समक्ष साक्षियों के रूप में उनके नाम को नहीं लिया और पेश किया।
7. यह कि कहानी कहती है कि अभियुक्त के लिए भाग जाने का प्रयास करना संभव नहीं था, दो स्कूटर चालक को सम्मिलित कर पब्लिक द्वारा घेर लिया गया और पब्लिक द्वारा मारा पीटा गया। परिस्थतियों के अधीन, स्थल से भाग जाने के उसके प्रयास करने की असंभव है। इस बात पर अभियोजन द्वारा सहमति व्यक्त की जाती है कि अन्य सह अभियुक्तों के साथ-साथ अभियुक्त को पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया और पुलिस (सी. डी. आर.) को सौप दिया गया, अतएव, क्षति यथा अंभिकथित भाग जाने का प्रयास करने की प्रक्रिया के कारण था। उसको संभवतः कुएं के समान किसी कठोर वस्तु के विरुद्ध धक्का दे दिया गया या सिर (खोपड़ी की दाहिनी ओर पर) कुन्दालयवस्तु से पीटा गया। ऐसी चोट ऐसे संव्यवहार द्वारा और न कि गिरने के द्वारा कारित की गयी। वस्तुतः प्रयोग को स्वीकृत करने के लिए तृतीय ढंग का तरीका (बलात् संस्वीकृति के विरुद्ध) नियोजित किया गया।
8. यह कि उसकी असल तहरीर में अभियोजन साक्षी 3 , प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा न्यायालय के समक्ष उसके कथन वृतान्त में भिन्नता है। पुलिस कर्मचारियों तथा चाकुओं के बारे में अभियोजन साक्षी 3 के बीच भिन्न रूपान्तर है। यह कि "खीचने वाला" साइकिल प्रश्न कोई बात विचित्र है क्योंकि एक पंचर हुई साइकिल को आगे मात्र ले जाया जा सकता था और लाया नहीं जा सकता है। एक व्यक्ति इस भाव में स्वयं की ओर किसी वस्तु को मात्र खीच सकता है यदि वह साइकिल खीच रहा था तो आगे आने तथा उसके सामने अभियुक्त व्यक्ति के खड़े होने का प्रश्न असंभव है। खीचने पर एक व्यक्ति पिछे नहीं घूम सका है। अतएव, घर की ओर जाते (आगे बढ़ते) समय आक्रमण करना संभाग्य नहीं था। सात्विक विरोधाभाष है और यह गंभीर है क्योंकि यह प्रत्येक दूसरे का काट देता है। पी. सी. आर. जिसने सर्वप्रथम अभियुक्त को पकड़ा चाकू के बारे में कभी-नहीं बोलता है और न ही वे सभी स्कूटर चालक या वहाँ एकत्र हुई जनता, जबकि स्थानीय पुलिस अभियुक्त के जेब में फोल्डिंग चाकू की बरामदगी के बारे में बोलती है, परिवादी अभियोजन साक्षी 3 कहती है कि चाकू की नोक उसके गले पर लगायी गयी यह स्वमेव एक बड़ा विरोधाभाष है और यह प्रतीत होता है कि चाकू को धारा 397 भा. द. सं. के अधीन एक अपराध के लिए लूट करने के लिए रखा गया। अपीलार्थी 1988 (1) जे. सी. सी. भा. द. सं. 108 को ध्यान में रखते हुए दोष मुक्त किया जाने का हकदार था, रशीद अहमद जहाँ तात्विक विरोधाभाष इस मामले की भाँति इस प्रकार अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

**प्रार्थना**

यह अति विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय अपील को स्वीकृत करने और अपीलार्थी के अधिवक्ता के परिशीलन और सुनवाई करने के लिए अभिलेख को मँगाने तथा अपीलार्थी के विरुद्ध पारित किये गये दोषसिद्धि एवम् दण्डादेश को अपास्त करने की कृपा करे और उसको दोषमुक्त कर दिया जाए।

किसी अन्य आदेश को पारित करने की कृपा करे जिसको यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों एवम् न्याय हित में उपयुक्त एवम् उचित समझे।

यह आगे प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपील की लम्बित अंतिम निपटारा के दौरान यह माननीय न्यायालय जमानत पर अपीलार्थी को छोड़ने तथा अपीलार्थी के विरुद्ध पारित किये गये दण्डादेश को निलम्बित करने की कृपा करे जिस दयापूर्ण कार्य के लिए विनम्र अपीलार्थी इस माननीय न्यायालय का सदैव आभारी रहेगा।

तारीख .............. अपीलीर्थी जरिये अधिवक्ता

स्थान..............